आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–17.03.2026 को अपराह्न 03:30 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुरूप।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक–**26.02.2026** को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 44 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण–पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:–

दिनांक–17.03.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन

कार्यावली संख्या – 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक– 31.01.2026 एवं 26.02.2026 का लंबित संशोधित समय–सारणी।

क्र0 सं0	पूर्व का आवेदन क्रमांक	वाहन सं0/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
1	35/6	BR09R-1044 (08.09.2014) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.03.26 फिटनेश–04.02.26 बीमा–18.09.26 प्रदूषण–29.01.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR34P-7057** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय–सारणी के बीच ओवरटेकिंग और टकराव है जिससे मुझे काफी आर्थिक क्षति होगी। आवेदनकर्त्ता धर्मवीर सहनी को 31.01. 2026 की बैठक में आदेश दिया गया था कि अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी डालने के लिए समर्पित करना था लेकिन मनमाने तरीके से प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध आवेदन 17.03.2026 की बैठक में समर्पित किये हैं :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 17:15 17:15 महेशखूंट प्र0 18:23 18:00 बेलदौर प्र0 19:25 19:10 अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग सं0–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर है। आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के संशोधित समय–सारणी के मुख्य बिन्दु खगड़िया में 17:15 पर टकराव है तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा बैठक के क्रम में वाहन सं0–**BR09R-1044** का फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु समय लिया गया परन्तु कार्यालय में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

2	36/10	BR46P-9317 (03.02.2026) श्री अमित कुमार, पिता–श्री मंटू कुमार सिंह, पता–मिल्की गंगटामोड़, खड़गपुर, जिला–मुंगेर।	प्रकाशन–14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 डाउन, चकाई से मुंगेर । भाया–सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खड़पुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.04.26 फिटनेश–02.02.28 बीमा–29.01.27 प्रदूषण–02.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राणा संजय, वाहन सं0–**BR10GC-8807** का कहना है कि उक्त वाहन का मार्ग सं0–3219 पर चकाई से मुंगेर का स्थायी परमिट धारक हूँ। मेरे द्वारा आवेदन सं0–36 जो आवेदक अमित कुमार वाहन सं0–**BR46P-9317** जो चकाई से मुंगेर उक्त मार्ग सं0 पर भाया सोनो, जमुई, मलयपुर, खड़गपुर मार्ग पर आपत्ति करता हूँ जो निम्न प्रकार से अंकित है। (1) आपत्तिकर्त्ता श्री राणा संजय का वाहन के आगे और पिछे आवेदनकर्त्ता अमित कुमार पिता–मंटु सिंह का दो वाहन का कर मेंरे वाहन (राणा संजय) को आर्थिक क्षति पहूँचाना चाहते हैं। क्यों इनकी वाहन सं0-**BR10PB-9317** का मलयपुर पड़ाव पर आगमन–05:30 से 05:54 तक का है जो पूर्व परमिट है और अब दूसरी वाहन का आवेदन 06:12–06:17 किये है। वहीं मेरी वाहन सं0–**BR46P-8807** का आगमन समय 06:20 है। ऐसे स्थिति में मुझे आर्थिक क्षति के साथ तंग–तबाह करना चाहते हैं। (2) मेरा श्रीमान् से आग्रह है कि इनकी बस सिर्फ चकाई–मुंगेर परमिट लेकर परिचालन ये मलयपुर से मुंगेर तथा दूसरा गंगटामोड़ से मुंगेर का ही करते है। ये गंगटामोड़ स्थित स्थानीय होने के नाते चकाई–जमई मुंगेर मार्ग पर गंगटामोड़ पड़ाव नहीं है फिर भी इनके द्वारा दबंगता के कारण इस पड़ाव से परिचालन करते है। ऐसी स्थिति जहॉ मेरी वाहन के आगे–पीछे असमय तथा बिना पड़ाव से परिचालन करवाते है। (3) इनकी वाहनों का आवेदन या फिर परमिट चकाई–मुंगेर लेकर बीच मार्ग–मलयपुर तथा गंगटामोड़ से ही करवाते हैं जिसकी जाँच संबंधित अधिकारियों से करवा सकते हैं। यू तो मेरे पास इसका प्रमाण भी है, जो समय पर दे सकता हूँ। अतः श्रीमान् से पुनः आग्रह करता हूँ कि इन वाहन स्वामी अमित कुमार एवं सुमित कुमार पिता–मंटु सिंह, ग्राम–मिल्की, पो0–गंगटा, जिला–मुंगेर के वाहन सं0–**BR10PC-9317, BR08-9717, BR10PB-9717, BR46P-9317** एवं वाहन सं0–**BR10Q-**	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3219 डाउन चकाई से मुंगेर है तथा आपत्तिकर्त्ता का दूसरी वाहन सं0–**BR46P-8807** के निर्गत परमिट का मार्ग संख्या 1750 डाउन जमुई से अमरपुर पर परिचालित है तथा मार्ग संख्या भिन्न है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					1073 का परमिट तथा परिचालन कौन से कहाँ किया जाता रहा है, इसकी जाँच कराने के उपरान्त ही इनके आवेदन पर विचार किया जाय। क्यों इनके विरूद्ध चकाई–मुंगेर जा रहे आ रहे यात्रियों द्वारा श्रीमान् के जनता दरबार में शिकायत का आवेदन दिया गया है, जहाँ शिकायत है कि मुंगेर से चकाई यात्रियों को कह कर बैठा लेते हैं और गंगटा या फिर मलयपुर तक ही सेवा देते आ रहें हैं।	
3	37/18	BR08P-5931 (NEW) (.02.2026) श्री नित्यानंद सिंह, पिता–श्री रामधन सिंह, पता–गोरगामा, दरियापुर, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया–कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)		➢ आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR09H-8311** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता ने अपने उपरोक्त वर्णित वाहन का संशोधित समय–सारणी अगुवानी से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है। आवेदनकर्त्ता का वाहन कबेला, नयागॉव में आवेदन के समय नयागॉव, कबेला का समय–सारणी नहीं दिया गया। इस संबंध में 26.02.2026 की बैठक में आपत्तिकर्त्ता द्वारा आपत्ति की गयी थी कि मार्ग के अनुरूप आवेदन नहीं है, फिर समय–सारणी संशोधन का कबेला और नयागॉव में देने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदनकर्त्ता का वाहन 45 सीट में निबंधित है। इस तथ्य की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जाय कि आवेदनकर्त्ता का वाहन व्हीलबेस के अनुसार निबंधित है या नहीं।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुआनी से बेगूसराय है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। आवेदनकर्त्ता के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 को वाहन सं0–**BR08P-5839** पर आपत्ति मार्ग संख्या 3169 का अधिसूचित भाया अगुवानी से गाड़ी खुलने के बाद कबेला, नयागॉव जाने का मार्ग नहीं है संबंधित आपत्ति किया गया था। जिसमें प्राधिकार का निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग की जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से करायी जाय। नोट :–अधिसूचित मार्ग पर वाहन का परिचालन के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से जॉच प्रतिवेदन की माँग इस कार्यालय के पत्रांक–90, दि0–06.03.2026 द्वारा प्रेषित की गई है जो अप्राप्त है। अतएव आवेदनकर्त्ता का वाहन 45 सीट में निबंधित है या नहीं संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर से एवं अधिसूचित मार्ग संख्या 3169 का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही परमिट आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

4	38/15	BR06PF-1249 (18.03.2021) श्री नित्यानंद सिंह, पिता–रामधन सिंह, पता–गोरगामा, गुरगावन, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–17.03.26 फिटनेश–02.05.27 बीमा–28.04.26 प्रदूषण–10.05.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09M-3171** के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव है। 1. वाहन स्वामी के द्वारा निबंधन के समय व्हीलबेस के अनुसार सीटों के अनुरूप सेमी डिलक्स का टैक्स भुगतान किया गया 9065 रू0 02 से 03 क्वाटर यानी कुछ दिन के बाद साधारण टैक्स जमा कर रहे हैं। 6703 रू0 जो कि बिहार सरकार के राजस्व का चोरी हो रहा है। इस वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी से जॉच कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. ये आवेदनकर्त्ता का समय–सारणी मेरे वाहन के समय–सारणी से महेशखूंट एवं मानसी में पीछे है और खगड़िया मध्य बिन्दु एवं बलिया में ओवरटेक करके आगे हो जाती है जो निम्न हैः– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता महेशखूंट प्र0 09:52 09:44 मानसी प्र0 10:10 10:07 खगड़िया प्र0 10:27 10:29 बलिया प्र0 11:07 11:10 महोदय उपरोक्त गाड़ी पहले दो अप दो डाउन का परमिट आवेदन किए थे लेकिन संशोधन करके इस बैठक में एक अप एक डाउन का आवेदन किए हैं। ट्रिप कटौती पर दस हजार चालान का प्रावधान है लेकिन वाहन स्वामी चालान नहीं जमा किए हैं। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि तथ्यों की जॉच करवाकर परमिट पर विचार करने की कृपा की जाए।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्राधिकार की बैठक दि0–31.01.2026 में दो अप दो डाउन का परिचालन होने संबंधी आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु इस बैठक में व्हीलबेस से संबंधित आपत्ति दर्ज की गई है। दो अप दो डाउन का परिचालन होने संबंधी जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से जॉच प्रतिवेदन की मॉंग इस कार्यालय के पत्रांक–39, दि0–10.02.2026 द्वारा की गई थी। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–1257, दि0–23.02.2026 से स्पष्ट होता है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का परिचालन दो अप दो डाउन का परिचालन नहीं कर सिर्फ एक अप एक डाउन का परिचालन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्तावित आवेदन पर पूर्व से निर्गत परमिट संबंधित आवेदनकर्त्ता को स्पष्टीकरण किया गया है, परन्तु कार्यालय को उनका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। आवेदनकर्त्ता का वाहन निबंधन के समय व्हीलबेस के अनुसार सीटों के अनुरूप टैक्स 9065 रू0 या 6703 रू0 संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाय। अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से वस्तु स्थिति तथा आवेदनकर्त्ता से किये गये स्पष्टीकरण के आलोक में प्रतिउत्तर प्राप्त होने के उपरान्त ही परमिट आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

5	39/32 /12	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225, भागलपुर रे०स्टे० से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.12.25 /24.03.2026 फिटनेश–24.06.26 बीमा–28.04.26 प्रदूषण–27.06.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता महेशखूंट प्र0 17:08 17:10 मानसी प्र0 17:28 17:30 खगड़िया प्र0 17:47 17:49 भागलपुर रेलवे स्टेशन से आवेदनकर्त्ता का वाहन 14:40 एवं आपत्तिकर्त्ता का वाहन 13:55 में प्रस्थान करती है। 45 मिनट पीछे आवेदनकर्त्ता खुलकर ओवरटेक कर महेशखूंट, मानसी, खगड़िया में सभी जगह पर आगे हो जाते हैं। भागलपुर जीरोमाईल 11 मिनट, महेशखूंट 08 मिनट, नौगछिया जीरोमाईल 11 मिनट, खगड़िया 09 मिनट, खगड़िया 15 मिनट, महेशखूंट 07 मिनट का ठहराव दिये हैं जो प्राधिकार के निर्णय 05 मिनट के विरूद्ध है। आवेदनकर्त्ता का वाहन 5260 व्हीलबेस में निबंधित है। सेमी डिलक्स में दो क्वाटर के बाद साधारण वाहन का टैक्स दे रहे हैं। सेमी डिलक्स का टैक्स नहीं दे रहे हैं। आवेदनकर्त्ता कर चोरी कर राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6807** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता नौगछिया जीरोमाईल प्र0 15:51 15:53 थाना बिहपुर प्र0 16:08 16:10 भागलपुर जीरोमाईल में 11 मिनट, नौगछिया जीरोमाईल में 11 मिनट, महेशखूंट में 08 मिनट, खगड़िया में 09 मिनट तथा महेशखूंट में 07 मिनट, खगड़िया में 15 मिनट का ठहराव दिये हैं। दिनांक–26.02.2026 की बैठक में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि 05 मिनट से अधिक ठहराव नहीं दिया जा सकता है जो प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से 14:40 में खुलकर आपत्तिकर्त्ता के वाहन भागलपुर रेलवे	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता को पूर्व की बैठक दि0–26.02.2026 में प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप काटकर तृतीय एवं चतुर्थ ट्रिप पर परिचालन हेतु परमिट की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा स्वीकृत परमिट का उठाव नहीं कर इस बैठक में एक ट्रिप का परिचालन हेतु संशोधित समय–सारणी का आवेदन दिया गया है। प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता द्वारा व्हीलबेस एवं मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 के निर्णय के आलोक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					स्टेशन 15:05 के 25 मिनट आगे खुलकर अगले पड़ाव में आपत्तिकर्त्ता के वाहन से दो मिनट आगे आगे का समय–सारणी दिये हैं। आपत्तिकर्त्ता के पूर्व परमिटधारी को बंद कराने के उद्येश्य से 11 मिनट ठहराव देकर दो मिनट आगे आगे जा रहे हैं जो प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन है। आवेदनकर्त्ता का वाहन 5260 व्हीलबेस में निबंधित है। सेमी डिलक्स में दो क्वाटर के बाद साधारण वाहन का टैक्स दे रहे हैं। सेमी डिलक्स का टैक्स नहीं दे रहे हैं। आवेदनकर्त्ता कर चोरी कर राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं।	
6	40/23	BR09PA-9164 (06.06.2024) श्री अजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.03.26 फिटनेश–05.06.26 बीमा–28.04.26 प्रदूषण–04.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5490** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता ने दो अप दो डाउन का आवेदन किया। पर जिला परिवहन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार भागलपुर रेवले स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किसी भी वाहन का परिचालन दो अप दो डाउन नहीं होता है। आवेदनकर्त्ता के आवेदन को जिला परिवहन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में खारिज करने की कृपा की जाय। दिनांक–26.02.2026 की बैठक में आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस आशय का आपत्ति किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वाहन का जाँच प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध है जो वाहन निम्न है :– 1. **BR06PF-1249, 2. BR09PA-9160, 3. BR09PA-9546, 4. BR09PA-9206, 5. BR09PA-9166, 6. BR09PA-9170, 7. BR09PA-9163, 8. BR09PA-9782 एवं 9. BR09PA-9826**	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदनकर्त्ता के संशोधित समय–सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा दो अप दो डाउन पर आपत्ति की गई है, परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा एक अप एक डाउन का संशोधित आवेदन किया गया है। आपत्तिकर्त्ता के द्वारा आवेदनकर्त्ता के प्रासंगिक वाहन पर आपत्ति न होकर किसी अन्य वाहन पर आपत्ति की गई है जिसका इस वाहन के परमिट निर्गत न करने से कोई लेना देना नहीं है। आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
7	41/20	BR27C-4001 (07.03.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता–स्व0 दिनेश सिंह, पता–मल्लेयपुर, बरहट, जिला–जमुई।	प्रकाशन–14.02.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया–सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खड़पुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–06.05.26 फिटनेश–07.08.26 बीमा–13.10.26 प्रदूषण–29.07.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सुमीत कुमार, वाहन सं0–**BR10Q-1073** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता चकाई प्र0 05:30 05:30 सोनो प्र0 06:20 06:20 जमुई में 20 मिनट का ठहराव दिये हैं। जमुई में 07:45 में प्रस्थान कर आवेदनकर्त्ता मल्लेपुर 08:05 में	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु चकाई में प्रस्थान समय 05:30 पर एवं मध्य बिन्दु सोनो में प्रस्थान समय 06:20 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 में

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					आगमन करते हैं। आपत्तिकर्त्ता जमुई में 07:49 में प्रस्थान कर मल्लेपुर 08:01 मि0 में आगमन करते हैं। मल्लेपुर में आवेदनकर्त्ता पीछे आ रहे हैं। मल्लेपुर में 08:05 में आगमन कर 08:21 में खुल रहे हैं। इस प्रकार मल्लेपुर में आवेदनकर्त्ता 16 मिनट का ठहराव दिये हैं। मल्लेपुर से आवेदनकर्त्ता पीछे–पीछे चल रहे हैं। खड़गपुर 09:45 में आगमन करते हैं तथा 25 मिनट रूककर 10:10 में प्रस्थान करते हैं। मुंगेर में 2 घण्टा 45 मिनट अंकित है। खड़गपुर में 30 मिनट ठहराव दिये हैं। परमिट सरेन्डर नहीं किये हैं। बिना परमिट सरेन्डर के आवेदन किये हैं। भागलपुर मार्ग पर परिचालन कर रहे हैं। 26.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के विरूद्ध आवेदन किये है।	टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या – 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
8	1	BR34P-7657 (23.02.2026) श्री ब्रजेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 योगेन्द्र ना0 सिंह, पता–बख्तियारपुर, मानसी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–13.05.26 फिटनेश–22.02.28 बीमा–13.02.27 प्रदूषण–22.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
9	2	BR01PT-1441 (28.01.2026) श्री रूपेश कुमार, पिता–श्री संजय सिंह, पता–शकलदेव नगर, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2948, मघरा से मुंगेर। भाया–बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–30.03.26 फिटनेश–27.01.28 बीमा–07.01.27 प्रदूषण–27.01.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री शिव शंकर कुमार, वाहन सं0–**BR21P-9059** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सूर्यगढ़ा प्र0 13:30 13:32 विद्यापीठ प्र0 14:00 14:00 विद्यापीठ में **Same** समय–सारणी एवं सूर्यगढ़ा में 02 मिनट का अन्तराल है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21K-1811** का	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 2948 मघरा से मुंगेर है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति कार्यालय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपत्तिकर्त्ता का परमिट निर्गत नहीं है। अतः आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति कार्यालय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपत्तिकर्त्ता का परमिट निर्गत नहीं है। अतः आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता गिरिहिण्डा प्र0 08:36 08:37 विद्यापीठ प्र0 10:03 10:03 रामचन्द्रपुर प्र0 06:18 06:19 गिरिहिण्डा में 01 मिनट, विद्यापीठ में **Same** समय–सारणी तथा रामचन्द्रपुर में 01 मिनट का अन्तराल है।	अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
10	3	BR01PT-0590 (15.03.2017) श्री संजय कुमार, पिता–श्री रामबरण सिंह, पता–C/O-राजेश कुमार, खिरोधरपुर, फटवा, फतुवाहा, जिला–पटना।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2948, मघरा से मुंगेर। भाया–बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–08.04.26 फिटनेश–25.12.27 बीमा–25.12.26 प्रदूषण–19.08.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21K-1811** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता रामचन्द्रपुर प्र0 06:03 06:05 गिरिहिण्डा प्र0 03:50 03:52 रामचन्द्रपुर में 02 मिनट तथा गिरिहिण्डा में 02 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता **BR21G-1774** का परमिट इस प्राधिकार से प्राप्त कर लखीसराय डी0ए0भी0 में वाहन का परिचालन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता का वाहन **BR21D-2774** का परमिट इस प्राधिकार से निर्गत है लेकिन वाहन का परिचालन डी0ए0भी0 लखीसराय में कर रहे हैं। साक्ष्य के रूप में फोटो संलग्न है। इस तथ्य की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने की कृपा की जाय। 15 से 26 गाड़ी का परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन डी0ए0भी0 स्कूल में कर रहे हैं।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 2948 मघरा से मुंगेर है। आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति कार्यालय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपत्तिकर्त्ता का परमिट निर्गत नहीं है। अतः आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
11	4	BR09PB-0531 (21.10.2025) श्री संजीव कुमार, पिता–कैलाश राय, पता–रजौरा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3109, सिहम से बेगूसराय। भाया–कचहरी रामपुर, बख्हड्डा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–19.04.26 फिटनेश–20.10.27 बीमा–19.10.26 प्रदूषण–20.10.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनय कुमार, वाहन संख्या BR09PA-9500 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी में तकनीकि खमियाँ और मोटर वाहन अधिनियम के गति सीमा उल्लंघन के कारण प्रस्तावित समय सारणी मेरे समय–सारणी के आगे आवेदनकर्त्ता श्री संजीव राय अपने वाहन से आवेदन किये हैं, जिसमें अनुचित प्रतिर्स्पधा उत्पन्न होती है। इनके द्वारा गणितीय असंगति और मन गढ़ंत आकड़े दिये हैं जो तार्किक रूप त्रूटि पूर्ण हैं और वास्तकिव सड़क को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। सामान दूरी	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3109 सिहम से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3182 नारायण पिपर से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का परिचालन में अधिक समय लिया जा रहा है। अतः समीक्षोपरान्त पाया गया कि गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

25/3/2026

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

25/3/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					के लिए परिवर्तनशील गति दे रहें हैं। आवेदक एक खण्ड में 2 कि.मी. की दूरी 5 मिनट में व दूसरे खण्ड में 8 मिनट में जाते हैं। 6 कि.मी. की दूरी 10 मिनट से 28 मिनट तक तय करते हैं। लगभग **16/17** कि.मी. की दूरी तय करने में 27 से 46 मिनट का समय लिये हैं जबकि बेगूसराय एम.भी. आई. के द्वारा 35 मिनट जॉच रिपोर्ट दिया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित दूरी तय करने में चालक को कभी तेज गति से तो कभी धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ती है। आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित दूरी तय करने पर औसत गति गिर जाती है। जो जान बूझकर धीमी गति की रननीति है जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 125 का उलंघन करती है और यातायात को सुचारू प्रवाह में वाधा डालती है। साथ ही आवेदक द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी में श्रम मानदंडो का भी उलंघन है। जिसमें चालक द्वारा सुबह में शुरू होने वाला ड्यूटी रात में जाकर बन्द होता है। एक ही चालक लगभग लगातार 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ जाता है जिससे थका हुआ चालक अनियमित (रेस एण्ड ब्लॉक) सिड्यूल पर गाड़ी चलाकर यात्रियों के लिए चलती–फिरती मौत का जाल बन जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रार्थना कि जाती है कि जनसुरक्षा के हित में और आपत्तिकर्ता के व्यवसायिक व्यवहार्यता की रक्षा के लिए माननीय द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी को अस्वीकृत कर पीछे का समय–सारणी पर परमिट देने की कृपा करें। जिससे हमारा परिचालन बन्द नहीं हो। इसके लिए सदा श्रीमान का आभारी रहूँगा।	
12	5	BR09PB-0810 (25.01..2026) श्री कैलाश राय,, पिता–कारी राय पता–रजौरा, मु0, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3109, सिहम से बेगूसराय। भाया–कचहरी रामपुर, बख्हडड़ा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–22.04.26 फिटनेश–24.01.28 बीमा–22.01.27 प्रदूषण–24.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्रीमती रीना कुमारी, वाहन संख्या **BR34P-4645** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी में तकनीकि खमियाँ और मोटर वाहन अधिनियम के गति सीमा उल्लंघन के कारण प्रस्तावित समय सारणी मेरे समय–सारणी के आगे आवेदनकर्त्ता श्री कैलाश राय अपने वाहन से आवेदन किये हैं, जिसमें अनुचित प्रतिर्स्पधा उत्पन्न होती है। इनके द्वारा	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3109 है। आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का परिचालन में अधिक समय लिया जा रहा है। अतः समीक्षोपरान्त पाया गया कि गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					गणितीय असंगति और मन गढ़ंत आकड़े दिये हैं जो तार्किक रूप त्रूटि पूर्ण हैं और वास्तकिव सड़क को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। सामान दूरी के लिए परिवर्तनशील गति दे रहें हैं। आवेदक एक खण्ड में 2 कि.मी. की दूरी 5 मिनट में व दूसरे खण्ड में 8 मिनट में जाते हैं। 6 कि.मी. की दूरी 10 मिनट से 28 मिनट तक तय करते हैं। लगभग **16/17** कि.मी. की दूरी तय करने में 27 से 46 मिनट का समय लिये हैं जबकि बेगूसराय एम.भी. आई. के द्वारा 35 मिनट जॉच रिपोर्ट दिया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित दूरी तय करने में चालक को कभी तेज गति से तो कभी धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ती है। आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित दूरी तय करने पर औसत गति गिर जाती है। जो जान बूझकर धीमी गति की रननीति है जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 125 का उलंघन करती है और यातायात को सुचारू प्रवाह में वाधा डालती है। साथ ही आवेदक द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी में श्रम मानदंडो का भी उलंघन है। जिसमें चालक द्वारा सुबह में शुरू होने वाला ड्यूटी रात में जाकर बन्द होता है। एक ही चालक लगभग लगातार 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ जाता है जिससे थका हुआ चालक अनियमित (रेस एण्ड ब्लॉक) सिड्यूल पर गाड़ी चलाकर यात्रियों के लिए चलती–फिरती मौत का जाल बन जाता है। प्राधिकार का निर्णय है कि सामान मार्ग पर नये आवेदकों को पुराने परमिट धारकों को बाद का समय दिया जाना है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रार्थना कि जाती है कि जनसुरक्षा के हित में और आपत्तिकर्ता के व्यवसायिक व्यवहार्यता की रक्षा के लिए माननीय द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी को अस्वीकृत कर पीछे का समय–सारणी पर परमिट देने की कृपा करें। जिससे हमारा परिचालन बन्द नहीं हो। इसके लिए सदा श्रीमान का आभारी रहूँगा।	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

13	6	BR34P-3611 (01.03.2013) श्री सुदर्शन सिंह, पिता–लक्ष्मी ना0 सिंह, पता–अशोक नगर पोखरिया, जेल रोड, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2981 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया–जमालपुर, महेशखूंट, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–30.11.26 फिटनेश–15.05.26 बीमा–20.10.26 प्रदूषण–09.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
14	7	BR52P-8553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता– श्री बच्चु सिंह पता–पतालपुरी मंदिर, न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–107, जमुई से नवादा रेलवे स्टेशन। भाया–सिकन्दरा, चन्द्रदीप एवं पकड़ीवर्मा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–02.04.26 फिटनेश–02.04.27 बीमा–25.03.26 प्रदूषण–02.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
15	8	BR34P-3549 (21.06.2016) श्री राजन कुमार, पिता– श्री नीरज कुमार सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3144 डाउन, बखरी से बेगूसराय से। भाया–पहसरा एवं मंझौल ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–20.03.26 फिटनेश–26.03.26 बीमा–24.03.26 प्रदूषण–24.03.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अमरजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-8532** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन मार्ग बखरी से बेगूसराय पर किया गया है। इस वाहन के आवेदन पर ओवरटेक एवं व्हीलबेस संबंधित आपत्ति है। वाहन का व्हीलबेस 4200 है एवं बैठान क्षमता 33 है। इससे संबंधित प्राधिकार की बैठक 26.02.2026 में जाँच हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया गया है। कार्यवाही बैठक 26.02.2026 की प्रति संलग्न है। साथ ही साथ ओवरटेक का मामला है। वाहन संख्या–**BR34P-3549** के बेगूसराय से प्रस्थान 15:48 में करते हैं एवं मंझौल 16:41 पीछे हो जाते हैं। जबकि आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–**BR09PA-8532** का बेगूसराय प्रस्थान 15:50 है। मंझौल प्रस्थान 16:27 है तथा मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 15:48 15:50 मंझौल प्र0 16:37–16:41 16:25–16:27 अर्थात आवेदनकर्त्ता वाहन बेगूसराय से आगे खुलकर मंझौल में पीछे हो जाते हैं। आगे खुलकर सम्पूर्ण मार्ग पर आगे रहना है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3144 डाउन बखरी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3001 डाउन बेगूसराय से शहरबन्नी है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 को व्हील बेस से संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को इस कार्यालय के पत्रांक–94, दि0–06.03.2026 द्वारा प्रेषित किया गया था। उक्त जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है, परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन दिनांक–26.02.2026 को वापस ले लिया गया था। पुनः आवेदनकर्त्ता द्वारा मार्ग संख्या 3144 डाउन बखरी से बेगूसराय पर नया आवेदन किया गया है जो कि आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					कि वाहन सं0—**BR34P-3549** के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	
16	9	BR09PB-0842 (11.02.2026) श्री ब्रजेश कुमार, पिता—श्री फुलेना सिंह, पता—कोराय, जिला—बेगुसराय।	प्रकाशन—10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3107 डाउन, बेगूसराय से हसनपुर। भाया—मंझौल एवं गढ़पुरा। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स—10.05.26 फिटनेश—10.02.28 बीमा—08.02.27 प्रदूषण—10.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं0—**BR09PA-8252** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के आवेदित समय—सारणी से निम्न टकराव है :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 10:06 09:56 मंझौल प्र0 10:55 10:56 गढ़पुरा प्र0 11:40 11:41 ये गाड़ी बेगूसराय से हमारे गाड़ी से पीछे खुलकर मंझौल जाकर हमारे गाड़ी के समय—सारणी से ओवरटेक करके आगे—आगे जा रहे हैं और प्राधिकार के निर्णय के अनुसार गाड़ी रूकने का समय 05 मिनट हे जबकि इनके द्वारा मंझौल 07 मिनट, गढ़पुरा में 08 मिनट रूका गया है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3107 डाउन बेगूसराय से हसनपुर है। आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय—सारणी से मुख्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 10:06 पर टकराव नहीं है, मध्य बिन्दु मंझौल में प्रस्थान समय 10:55 पर एवं मध्य बिन्दु गढ़पुरा में प्रस्थान समय 11:40 पर टकराव है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0—26.02.2026 के निर्णय के आलोक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। अतः आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में संशोधित समय—सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
17	10	New Vehicle (.2026) श्री मनीष कुमार, पिता—श्री विद्यासागर सिंह, पता—गोरगामा, नयागॉव, जिला—बेगुसराय।	प्रकाशन—10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3170, कबेला से बेगूसराय। भाया—नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप—01 (01 अप 01 डाउन)	New Vehicle	➢ आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम कुमारी, वाहन सं0—**BR09PA-8768** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय—सारणी से से निम्न टकराव है :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 09:27 09:28 बलिया प्र0 10:08 10:10 खगड़िया प्र0 10:55 10:54 आवेदनकर्त्ता बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 01 मिनट का अन्तराल है तथा बलिया से आवेदनकर्त्ता 10:08 में प्रस्थान कर आपत्तिकर्त्ता के वाहन को ओवरटेक कर खगड़िया में पीछे हो जाते हैं। आवेदनकर्त्ता खगड़िया से 10:55 में प्रस्थान करते हैं। बेगूसराय तथा बलिया में आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के समय—सारणी में 01—01 मिनट एवं 02 मिनट आगे का समय—सारणी दिये हैं। आवेदनकर्त्ता ने अपने आवेदन में वाहन में बैठने की क्षमता 41 का उल्लेख किया है। व्हीलबेस के अनुसार वाहन को किस श्रेणी में निबंधित किया गया है, इसका उल्लेख आवेदनकर्त्ता ने अपने आवेदन	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय—सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					में नहीं किया है। इस तथ्य की जाँच करवायी जाय कि आवेदनकर्त्ता का वाहन किस श्रेणी में निबंधित है तथा निबंधन नियमानुकूल है या नहीं है।	
18	11	New Vehicle (.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति–श्री अमरजीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	New Vehicle	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मीनू देवी, वाहन सं0–**BR09PA-6784** के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव है। 1. आवेदनकर्त्ता रूपम कुमारी के वाहन के व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता है या नहीं व्हीलबेस के आधार पर डिलक्स या सेमी डिलक्स में निबंधन है या नहीं इसकी जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. 26.02.2026 के प्राधिकार के निर्णय के आलोक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान करने के बाद कोई भी वाहन का 05 मिनट से ज्यादा का ठहराव नहीं हो सकता है। इन्होंने प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध मनमाने ढ़ंग से मध्य बिन्दु परबत्ता में 06 मिनट का ठहराव किए इसलिए इनके आवेदन को रदद् करने की कृपा की जाय। 3. आवेदनकर्त्ता और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो "न्यायरथ" के बैनर तले परिचालन करते हैं जो कि निबंधन के समय व्हीलबेस के अनुसार सेमी डिलक्स का टैक्स जमा किए 10534 रू0 कुछ दिनों के बाद टैक्स को घटाकर 8647 रू0 जमा करने लगे जो कि बिहार सरकार के राजस्व का चोरी का मामला है, जो कि वाहन संख्या निम्न है :–**BR09PA-9161, BR09PA-9163, BR09PA-9206, BR09PA-6685** एवं **BR09PA-6686** अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन का जिला परिवहन से जॉचोपरान्त कार्रवाई की जाय। जॉच के बाद परमिट आवेदन पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। 4. समय–सारणी में टकराव पूर्ण आवेदन **किये हैं।** कबेला और अगुवानी दोनों एक ही मार्ग में आते हैं जो निम्न है। अगुवानी, कबेला, नयागॉव, परबत्ता, मड़ैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, बलिया एवं बेगूसराय। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है, प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					परबत्ता प्र0 06:10 06:13 मड़ैया प्र0 06:28 06:30 जमालपुर प्र0 06:48 06:50 महेशखूंट प्र0 06:14 07:15 मानसी प्र0 07:33 07:35 खगड़िया प्र0 07:49 07:50 बलिया प्र0 08:29 08:30 प्राधिकार का निर्णय लिया गया या नये आवेदक को पुराने परमिटधारी के समय से पीछे का समय दिया जाएगा जो कि आवेदक मेरे गाड़ी को बंद कराने की नियत से हर पड़ाव पर 02 मिनट 01 मिनट आगे समय–सारणी का प्रस्ताव दिऐ है। प्राधिकार के निर्णय का विपरीत है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR10P-7279** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी से से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 10:19 10:20 बलिया प्र0 11:00 11:00 मुख्य बिन्दु बेगूसराय में 01 मिनट तथा बलिया में **Same Time** का आवेदन आवेदनकर्त्ता दिये हैं। आवेदनकर्त्ता ने अपने आवेदन में वाहन में बैठने की क्षमता 41 है। इस तथ्य की जॉच की जाए कि आवेदनकर्त्ता का वाहन व्हीलबेस के अनुसार किस श्रेणी के वाहन में निबंधित है तथा आवेदनकर्त्ता का वाहन नियम के अनुसार निबंधित कराया गया है या नहीं।	
19	12	New Vehicle (.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति–श्री अमरजीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	New Vehicle	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09M-3060** के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव है। 1. आवेदनकर्त्ता रूपम कुमारी की वाहन का व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता है या नहीं व्हीलबेस के आधार पर डिलक्स या सेमी डिलक्स है या नहीं इसकी जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. आवेदनकर्त्ता कबेला से मेरे समय–सारणी के पीछे चलते हैं। हर बिन्दु पर और मध्य बिन्दु खगड़िया से ओवरटैक करके आगे हो जाते हैं जो	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 09:25 पर एवं मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान समय 10:03 पर टकराव नहीं है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 09:25 09:27 बलिया प्र0 10:03 10:05 आवेदनकर्त्ता जानबूझ कर मेरे दो वाहन को बंद करने की नियत से समय–सारणी किये हैं। 26.02.2026 के बैठक में क्रमांक सं0–25 में **BR08P-5839** का परमिट के लिए आवेदन किये थे जो कि जॉच में है। मेरे इस वाहन के समय–सारणी के 01 मिनट, 02 मिनट समय–सारणी का प्रस्ताव दिए हैं। 3. आवेदनकर्त्ता और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो "न्यायरथ" के बैनर तले परिचालन करते हैं जो कि निबंधन के समय सेमी डिलक्स का टैक्स जमा किए 10534 रू0 कुछ दिनों के बाद टैक्स को घटाकर 8647 रू0 जमा करने लगे जो कि बिहार सरकार के राजस्व का चोरी का मामला है, जो कि वाहन संख्या निम्न है :–**BR09PA-6688, BR09PA-6689, BR09PA-6687, BR09PA-9170** एवं **BR09PA-6690, BR06PF-1246** एवं **BR06PF-1247** अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन का जिला परिवहन से जॉचोपरान्त कार्रवाई की जाय। जॉच के बाद वाहन स्वामी के परमिट आवेदन पर निर्णय लेने की कृपा की जाय।	
20	13	New Vehicle (.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति–श्री अमरजीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015 डाउन, बेगूसराय से अलौली, भाया–मंझौल, बखरी, आशापोखर एवं हरिपुर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	New Vehicle	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR50P-1665** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट से समय–सारणी के बीच टकराव है। ➢ , नीरज कुमार सिंह, वाहन संख्या BR-50P-1665 का निबंधित स्वामी हूँ और मुझे उक्त वाहन के पक्ष में इस प्राधिकार से मार्ग संख्या 3171 बरौनी जंक्शन से बखरी पर एक स्थाई परमिट निर्गत है जिसकी मान्यता 2031 तक है जिसमे बेगुसराय के साथ बखरी तक सभी ठहराव स्थल यथा मंझौल दोनों मार्गो में समान है और मार्ग की कुल दुरी किलोमीटर और 48	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3015 डाउन बेगूसराय से अलौली है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3171 डाउन बखरी से बरौनी जंक्शन है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					किलोमीटर है यानि मात्र ..... .किलोमीटर दुरी ही दोनों मार्गो में भिन्न है और छोटी दुरी के मार्गो में 5 मिनट का अन्तराल भी वाहन परिचालन के लिए अलाभकारी हो जाता है और प्राधिकार के द्वारा मार्ग संख्या समान होने का फायदा उठाकर वाहन स्वामी पूर्व के परमिट के समय सारिणी के आगे का समय प्राप्त कर पूर्व के परमिट परिचालन को समाप्त करवाने का प्रयास करते है/ राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना ने अपने दिनांक 22.11.2021 के नीतिगत निर्णय में समान मार्ग और भिन्न मार्ग की परिभाषा को स्पस्ट किया है जो निम्न है:- 1.शत प्रतिशत मार्ग समान होने का सामान्य अर्थ यह है की उस मार्ग के प्रारंभ एबम अंतिम पड़ाव के साथ उस मार्ग में पड़ने वाले सभी ठहराव स्थल समान हो/ 2.आपत्तिकर्ता के मार्ग का सभी ठहराव स्थल प्रस्तावित मार्ग के शत प्रतिशत समान हो तथा आपत्तिकर्ता के मार्ग का प्रारंभ एवं अंतिम पड़ाव में से कोई एक पड़ाव प्रस्तावित मार्ग के समान हो वह समान मार्ग माना जायेगा/ (निर्णय की प्रति संलग्न) उक्त के आलोक में वर्तमान मार्ग और आपत्तिकर्ता का मार्ग समान मार्ग की श्रेणी में आता है और उक्त के आधार पर इस प्राधिकार के द्वारा लिया गया निर्णय जिसमे मार्ग समान होने पर नये आवेदक को पुराने परमिट के समय के बाद का समय दिया जायेगा, पूर्ण रूप से लागू होता है/ उक्त के आलोक में आवेदक के द्वारा बेगुसराय मुख्य बिंदु पर मात्र 1 मिनट आगे का प्रस्ताव दिया गया है जो सही नहीं है/ आवेदनकर्त्ता पड़ाव स्थल आपत्तिकर्त्ता 08.26 बखरी(मुख्य बिंदु) 08.27	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

09.08 मंझौल(मध्य बिंदु) 09.10
10.30 बेगुसराय(मुख्य बिंदु) 10.33

इतना ही नहीं न्याय रथ के द्वारा वर्तमान में उक्त मार्ग पर 5 परमिट 6 खेप का प्राप्त किये है परंतु कोई भी अपने पुरे मार्ग पर कभी भी नहीं चली है जिसकी जाँच VLTD से कराये जाने पर स्थिति स्पस्ट हो जायेगी/ उनके द्वारा सिर्फ दुसरे वाहन स्वामी के सेवा समाप्त करने हेतु नई परमिट प्राप्त किया जा रहा है/

मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगुसाय पर 5 परमिट यथा

BR2025SC2462A BR34G0110 6
BR2025SC2516A BR34P0110 6
BR2025SC2976A BR09PA8529 6
BR2025SC3283A BR09PA8526 6
BR2025SC3287A BR09PA8538 6

इतना ही नहीं न्याय रथ के द्वारा मार्ग 3001 शहरबन्नी से बेगुसराय पर 4 परमिट प्राप्त किये है जो निम्न है

परमिट सं0 वाहन सं0 खेपो की सं0
BR2025SC1745A BR09H4940 6
BR2025SC2100A BR09PA8532 6
BR2025SC2974A BR09PA8167 6
BR2025SC3286A BR09PA8164 6

न्याय रथ के द्वारा मार्ग संख्या 3154 बेगुसराय से सकरपुरा पर 6 परमिट प्राप्त किये है जो निम्न है"-

परमिट सं0 वाहन सं0 खेपो की सं0
BR2024SC2496A BR09H5198 6
BR2025SC1755A BR09M1040 6
BR2025SC2972A BR09PA8534 8
BR2025SC2969A BR09PA8528 8
BR2025SC3288A BR09M1041 8
BR2025SC3294A BR09PA8537 8

मार्ग संख्या 3171 बरौनी जंक्शन से बखरी पर 2 परमिट यथा

BR2025SC3285A BR09PA8162 8
BR2025SC3284A BR09M5982 8

उक्त सभी मार्ग पर न्याय रथ के द्वारा कोई भी वाहन अपने सम्पूर्ण मार्ग पर सम्पूर्ण खेपो के साथ कभी भी परिचालित नहीं होती है जो VLTD जाँच से स्पस्ट हो जायेगा/ और ऐसे वाहन स्वामी को जो मात्र मार्ग में समय अन्तराल को निरुद्ध किये हुए है और अन्य वाहन स्वामी को परमिट प्राप्ति से बंचित किये हुए है, प्राधिकार के

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					द्वारा परमिट दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि परमिट मार्ग के यात्रियों के सुबिधा हेतु दिया जाता है न की वाहन स्वामी के सुबिधा और उनके मर्जी के लिए / मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शक्ति दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/	
21	14	New Vehicle (.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति–श्री बिनीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	New Vehicle	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09M-3060** के निर्गत समय–सारणी के बीच टकराव है। 1. आवेदनकर्त्ता बुलबुल देवी व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता है या नहीं वाहन व्हीलबेस के आधार पर डिलक्स या सेमी डिलक्स में निबंधन है या नहीं इसकी जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. आवेदनकर्त्ता और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो "न्यायरथ" के बैनर तले परिचालन करते हैं जो कि निबंधन के समय सेमी डिलक्स का टैक्स जमा किए 10534 रू0 दो तीन क्वाटर के बाद टैक्स को घटाकर 8647 रू0 जमा करने लगे जो कि बिहार सरकार के राजस्व का चोरी का मामला है, जो कि वाहन संख्या निम्न है :–**BR09PA-9165, BR09PA-9167, BR09PA-9159, BR09PA-6684** एवं **BR09PA-9166** अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन का जिला परिवहन से जॉचोपरान्त कार्रवाई की जाय। जॉच के बाद उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। 3. आवेदनकर्त्ता मेरे समय–सारणी से मात्र 05 मिनट और 02 मिनट आगे समय–सारणी का प्रस्ताव दिये हैं जो कि प्राधिकार का निर्णय लिया गया था मार्ग समान होने पर नये आवेदक पुराने परमिटधारी के समय से पीछे का समय दिया जायेगा। वाहन स्वामी सिर्फ मुझे परेशान करने के उद्येश्य से समय–सारणी किए हैं। वाहन स्वामी प्राधिकार के साथ सिर्फ समय का छेक कर रखना चाहते हैं किसी अन्य वाहन स्वामी का गाड़ी नहीं चल पाए। वाहन स्वामी के नाम 100 से उपर परमिट प्राप्त हैं लेकिन 25 से 30 गाड़ी का ही परिचालन करते हैं।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

23/3/2026

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/3/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					बेगूसराय से भागलपुर मार्ग पर 35 से 40 गाड़ी का दो अप दो डान का परमिट प्राप्त कर मात्र 15 से 20 गाड़ी का परिचालन एक अप एक डाउन करते हैं जो कि महोदय को पूर्व में भी अवगत कराया गया था। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि व्हीलबेस एवं टैक्स जॉच के बाद वाहन स्वामी के परमिट आवेदन पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय।	
22	15	New Vehicle (.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति–श्री बिनीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3001, शहरबन्नी से बेगूसराय। भाया–ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	New Vehicle	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार, वाहन सं0–**BR06PC-5310** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट से समय–सारणी के बीच टकराव है। मैं,दिलीप कुमार , वाहन संख्या BR-06PC-5310 का निबंधित स्वामी हूँ और मुझे उक्त वाहन के पक्ष में इस प्राधिकार से मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगुसराय पर एक स्थाई परमिट निर्गत है जिसकी मान्यता 6.11.2030 तक है जिसमे बेगुसराय मुख्य बिंदु के साथ मध्य बिंदु का सभी ठहराव स्थल यथा मंझौल, बखरी, आशापोखर, हरिपुर दोनों मार्गो में समान है और मार्ग की कुल दुरी 50 किलोमीटर और 48 किलोमीटर है यानि मात्र 2 किलोमीटर दुरी ही दोनों मार्गो में भिन्न है और छोटी दुरी के मार्गो में 5 मिनट का अन्तराल भी वाहन परिचालन के लिए अलाभकारी हो जाता है और प्राधिकार के द्वारा मार्ग संख्या समान होने का फायदा उठाकर वाहन स्वामी पूर्व के परमिट के समय सारिणी के आगे का समय प्राप्त कर पूर्व के परमिट परिचालन को समाप्त करवाने का प्रयास करते है/ राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना ने अपने दिनांक 22.11.2021 के नीतिगत निर्णय में समान मार्ग और भिन्न मार्ग की परिभाषा को स्पस्ट किया है जो निम्न है:-	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3001 शहरबन्नी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

23/3/2026

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

23/3/24

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					1.शत प्रतिशत मार्ग समान होने का सामान्य अर्थ यह है की उस मार्ग के प्रारंभ एबम अंतिम पड़ाव के साथ उस मार्ग में पड़ने वाले सभी ठहराव स्थल समान हो/ 2.आपत्तिकर्ता के मार्ग का सभी ठहराव स्थल प्रस्तावित मार्ग के शत प्रतिशत समान हो तथा आपत्तिकर्ता के मार्ग का प्रारंभ एवं अंतिम पड़ाव में से कोई एक पड़ाव प्रस्तावित मार्ग के समान हो वह समान मार्ग माना जायेगा/ (निर्णय की प्रति संलग्न) उक्त के आलोक में वर्तमान मार्ग और आपत्तिकर्ता का मार्ग समान मार्ग की श्रेणी में आता है और उक्त के आधार पर इस प्राधिकार के द्वारा लिया गया निर्णय जिसमे मार्ग समान होने पर नये आवेदक को पुराने परमिट के समय के बाद का समय दिया जायेगा, पूर्ण रूप से लागू होता है/ उक्त के आलोक में आवेदक के द्वारा बेगुसराय मुख्य बिंदु पर मात्र 1 मिनट आगे का प्रस्ताव दिया गया है जो सही नहीं है/ आवेदनकर्त्ता पड़ाव स्थल आपत्तिकर्त्ता 08.24 बेगुसराय(मुख्य बिंदु) 08.25 09.08 मंझौल(मध्य बिंदु) 09.10 इतना ही नहीं न्याय रथ के द्वारा वर्तमान में उक्त मार्ग पर निम्न परमिट 6 खेप का प्राप्त किये है परंतु कोई भी अपने पुरे मार्ग पर कभी भी नहीं चली है जिसकी जाँच VLTD से कराये जाने पर स्थिति स्पस्ट हो जायेगी/ उनके द्वारा सिर्फ दुसरे वाहन स्वामी के सेवा समाप्त करने हेतु नई परमिट प्राप्त किया जा रहा है/ मार्ग का नाम- शहरबन्नी से बेगुसराय परमिट सं० वाहन सं० खेपो की सं० BR2025SC1745A BR09H4940 6 BR2025SC2100A BR09PA8532 6 BR2025SC2974A BR09PA8167 6 BR2025SC3286A BR09PA8164 6 इतना ही नहीं न्याय रथ के द्वारा मार्ग संख्या 3154 बेगुसराय से सकरपुरा पर 6	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					परमिट यथा परमिट सं0 वाहन सं0 खेपो की सं0 BR2024SC2496A BR09H5198 6 BR2025SC1755A BR09M1040 6 BR2025SC2972A BR09PA8534 8 BR2025SC2969A BR09PA8528 8 BR2025SC3288A BR09M1041 8 BR2025SC3294A BR09PA8537 8 मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगुसाय पर 5 परमिट यथा BR2025SC2462A BR34G0110 6 BR2025SC2516A BR34P0110 6 BR2025SC2976A BR09PA8529 6 BR2025SC3283A BR09PA8526 6 BR2025SC3287A BR09PA8538 6 मार्ग संख्या 3171 बरौनी जंक्शन से बखरी पर 2 परमिट यथा BR2025SC3285A BR09PA8162 8 BR2025SC3284A BR09M5982 8 उक्त सभी मार्ग जिसमे बेगुसराय से हरिपुर करीब 98% मार्ग समान है परंतु उनके द्वारा कोई भी वाहन अपने सम्पूर्ण मार्ग पर सम्पूर्ण खेपो के साथ कभी भी परिचालित नहीं होती है जो VLTD जाँच से स्पस्ट हो जायेगा/ और ऐसे वाहन स्वामी को जो मात्र मार्ग में समय अन्तराल को निरुद्ध किये हुए है और अन्य वाहन स्वामी को परमिट प्राप्ति से बंचित किये हुए है, प्राधिकार के द्वारा परमिट दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि परमिट मार्ग के यात्रियों के सुबिधा हेतु दिया जाता है न की वाहन स्वामी के सुबिधा और उनके मर्जी के लिए / मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शक्ति दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस	

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/	
23	16	New Vehicle (.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति–श्री बिनीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	New Vehicle	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री अनिश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR11PA-3011** का कहना है कि 1. आवेदनकर्त्ता बुलबुल देवी व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता है या नहीं वाहन व्हीलबेस के आधार पर डिलक्स या सेमी डिलक्स में निबंधन है या नहीं इसकी जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. प्राधिकार का निर्णय लिया गया था मार्ग समान होने पर नये आवेदक पुराने परमिटधारी के समय से पीछे का समय–सारणी दिया जाएगा। आवेदक मेरे वाहन 05 मिनट, 02 मिनट आगे आवेदन किए हैं जो कि मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। प्राधिकार के निर्णय के विपरीत है। सिर्फ समय	➢ आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					को छेक कर रखना चाहते हैं। पहले भी प्राधिकार में भागलपुर बेगूसराय मार्ग पर दो अप दो डाउन के बारे में अवगत करया गया है। 3. वाहन स्वामी जो "न्यायरथ" के बैनर तले वाहन को चलाते है। इन्होंने निबंधन के समय सेमी डिलक्स का टैक्स जमा किए 10534 रू0 कुछ दिनों के बाद टैक्स को घटाकर बहुत कम टैक्स जमा कर रहे हैं जो कि जॉच का विषय है जो निम्न है :— **BR06PF-1246, BR06PF-1251, BR06PF-1245, BR06PF-1250** एवं **BR06PF-1249** अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि जॉच के बाद उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0—**BR09M-6807** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के आवेदित समय—सारणी से निम्न टकराव है :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 13:04 13:00 बलिया प्र0 13:44 13:45 खगड़िया प्र0 14:34 14:35 बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 04 मिनट पीछे खुलकर ओवरटेक कर बलिया और खगड़िया में 01 मिनट आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्त्ता का वाहन 41 सीट में निबंधित है। आवेदनकर्त्ता का वाहन व्हीलबेस के अनुसार निबंधित है या नहीं इस तथ्य की जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने की कृपा की जाय।	
24	17	BR34P-7631 (04.02.2026) श्री धर्मबीर सहनी, पिता—श्री सुधीर सहनी, पता—बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला—खगड़िया।	प्रकाशन—10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया—महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप—03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स—22.04.26 फिटनेश—03.02.28 बीमा—29.01.27 प्रदूषण—03.02.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0—**BR11PD-9418** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट से समय—सारणी के बीच ओवरटेकिंग है जिससे मुझे काफी आर्थिक क्षति होगी। खगड़िया में मेरे वाहन के निर्गत समय—सारणी 04:32 के पीछे 04:35, महेशखूंट में 05:30 के आगे 05:28, इसराहा में 06:10 के आगे 06:08, बेलदौर में 06:50 के आगे 06:40 किया गया है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 04:35 04:32 महेशखूंट प्र0 05:28 05:30	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर है, द्वितीय एवं पंचम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3045 आलमनगर से खगड़िया है तथा छठे आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या—**MPPY564** खगड़िया से बेलदौर है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है तथा छठे आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय—सारणी से मुख्य

अपर समाहर्त्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					इसराहा प्र0 06:08 06:10 बेलदौर प्र0 06:40 06:50 ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-6399** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेलदौर प्र0 16:34 16:34 ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी, वाहन सं0–**BR34P-9418** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय –सारणी के बीच ओवरटेकिंग है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी खगड़िया में आगे खुलकर महेशखूंट मेरे वाहन के समय–सारणी 05:20 के पीछे 08:28 और बेलदौर में 06:35 के पीछे 06:40 खुलती है एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 04:35 04:40 महेशखूंट प्र0 05:28 05:20 बेलदौर प्र0 06:40 06:35 अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR25PA-0653** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट से समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 12:04 12:04 अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार कुमार, वाहन सं0–**BR19P-9918** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय –सारणी के बीच ओवरटेकिंग तथा	बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 04:35 पर टकराव नहीं है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता से पीछे खुल रही है। पीछे खुलने वाली वाहन पर आपत्ति मान्य नहीं है, मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 05:28 पर, मध्य बिन्दु इसराहा में प्रस्थान समय 06:08 पर एवं मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 06:40 पर टकराव नहीं है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 16:34 पर टकराव है। तृतीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 04:35 पर, मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 05:28 पर एवं मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 06:40 पर टकराव नहीं है। चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 12:04 पर टकराव है। पंचम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु आलमनगर में प्रस्थान समय 15:34 पर टकराव नहीं है, मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 16:34 पर टकराव है एवं मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 18:01 पर टकराव नहीं है। छठे आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है तथा आपत्तिकर्त्ता का डुमरीपुल पर प्रस्थान समय 17:08 है जबकि आवेदनकर्त्ता का प्रस्थान समय इसराहा में प्रस्थान समय 17:08 है। अतएव आवेदनकर्त्ता को उक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

25/3/2024

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

25/3/24

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी। आलमनगर में आगे खुलकर बेलदौर में 01 मिनट आगे तथा महेशखूंट में पीछे हो जाती है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 15:34 15:55 बेलदौर प्र0 16:34 16:35 महेशखूंट प्र0 18:01 17:35 अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ छठे ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR34P-6725** के निर्गत समय–सारणी के बीच ओवरटेकिंग और टकराव है जिससे मुझे काफी आर्थिक क्षति होगी। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेलदौर प्र0 16:34 16:29 इसराहा प्र0 17:08 17:08 महेशखूंट प्र0 18:01 17:56 अतः प्रार्थना है कि समय–सरणी में टकराव को देखते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपया की जाय।	
25	18	BR21P-4704 (02.02.2019) श्रीमती निलम देवी, पति–श्री प्रशांत कुमार, पता–इसुआ, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2948, मघरा से मुंगेर। भाया–बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–01.05.26 फिटनेश–24.07.26 बीमा–29.11.26 प्रदूषण–30.07.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री रूपेश कुमार, वाहन सं0–**BR21P-7674** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी। उक्त है कि वाहन संख्या–**BR21P-4704** के स्वामी नीलम देवी का प्रकाशन दिनांक–17.10.2025 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में मार्ग संख्या 5183 पर किया गया है। मार्ग बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर से बरबीघा पर किए हैं, जिसका साक्ष्य संलग्न कर रहा हूँ। एक ही वाहन का दो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में आवेदन नीलम देवी के द्वारा किया गया है। इस वाहन का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना से जॉच प्रतिवेदन कि मॉंग करने की कृपा की जाए। इस वाहन से संबंधित साक्ष्य प्राधिकार की बैठक में रखूँगा। उपरोक्त में कहना है कि लगभग 2 वर्ष से इनका वाहन प्रतिदिन सरमेरा से बिहारशरीफ भाया बरबीघा मार्ग पर परिचालन कर रहे हैं। इसकी जॉच करवा ली जाए। मैं प्राधिकार की	➢ आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 2948, मघरा से मुंगेर है। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। आवेदनकर्त्ता के वाहन सं0–**BR21P-4704** का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में दि0–17.10. 2025 को मार्ग संख्या 5183 बिहारशरीफ से बरबीघा पर वाहन का परिचालन करने हेतु परमिट आवेदन किया गया है या नहीं के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना से वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाय। अतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना से वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त ही परमिट आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					बैठक में **GPS Camera** के माध्यम से फोटो की छायाप्रति रखूँगा। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री जय राम प्रसाद, वाहन सं0–**BR21P-4811** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी। वाहन संख्या–**BR21P-4704** के स्वामी नीलम देवी के समय–सारणी में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में प्रकाशन दिनांक–17.10.2025 को जिसका ज्ञापांक–1219 है। मार्ग बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर से बरबीघा पर किया हुआ है एवं मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में भी आवेदन किए हैं जो कि प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध है। फलस्वरूप यह वाहन प्रतिदिन सरमेरा से बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर भाया–बरबीघा मार्ग पर बिना परमिट के परिचालन कर रहे हैं एवं अन्य वाहन संख्या–**BR52-7905, BR21K-1810, BR21K-0411, BR21D-7365, BR21F-2524** का प्रतिदिन परिचालन सरमेरा से बरबीघा एवं बरबीघा से मोकामा मार्ग पर कर रहे हैं जो कि **Mv Act** का धारा का उल्लंघन है। मैं यह सभी वाहन का मैं प्राधिकार की बैठक में **GPS Camera** के माध्यम से फोटो की छायाप्रति रखूँगा।	
26	19	BR21P-9059 (30.06.2023) श्री शिव शंकर कुमार, पिता–श्री चुन्नु प्रसाद सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2948, मघरा से मुंगेर। भाया–बिहारशरीफ, रामचंद्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.05.26 फिटनेश–20.02.28 बीमा–07.06.26 प्रदूषण–07.03.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री जितेन्द कुमार, वाहन सं0–**BR21PA-0198** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता विद्यापीठ प्र0 14:00 14:01 दोनों वाहन के समय–सारणी में विद्यापीठ में एक मिनट अन्तराल है। वाहन सं0–**BR21P-9059** के वाहन स्वामी श्री शिव शंकर कुमार ने प्राधिकार के विरूद्ध आवेदन किए हैं। इस वाहन का पटना **R.T.A** से परमिट निर्गत है। परमिट सं0–**BR2024-SC-0435A** है। पटना **R.T.A** से साक्ष्य की प्रतिलिपि प्राधिकार कि बैठक में रखूँगा। परमिट की बैधता दिनांक–27.	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 2948 मघरा से मुंगेर है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु विद्यापीठ में प्रस्थान समय 14:00 पर टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से मध्य बिन्दु विद्यापीठ में प्रस्थान समय 14:00 पर टकराव है। अतः आवेदनकर्त्ता को उक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					02.2029 तक है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री रूपेश कुमार, वाहन सं0–**BR01PT-1441** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता विद्यापीठ प्र0 14:00 14:00 दोनों वाहन के समय–सारणी में विद्यापीठ प्र0 **Same** समय है। उक्त है कि मेरा आवेदन सं0–02 है एवं वाहन सं0–**BR21P-9059** के क्र0सं0–19 है। प्राधिकार के नियमानुसार जो भी आवेदन पहले होगा। उसी को प्राथमिकता दिया जाएगा। शिव शंकर कुमार ने जान बूझकर **Same Time** दिये है। 2. वाहन सं0–**BR21P-9059** के वाहन स्वामी श्री शिव शंकर कुमार ने प्राधिकार के विरूद्ध आवेदन किए है। इस वाहन का पटना **R.T.A** से परमिट निर्गत है। जिसका वैधता दिनांक–27. 02.2029 तक मान्य है एवं पटना **R.T.A** से इस वाहन का साक्ष्य प्राधिकार के बैठक में रखूँगा।	
27	20	BR46P-8181 (23.05.2018) श्री रंजन कुमार सिंह, पिता–श्री शम्भू सिंह, पता–बसैया, पथकचक जिला–जमुई।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–20.05.26 फिटनेश–01.12.26 बीमा–25.12.26 प्रदूषण–26.11.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अविनाश कुमार, वाहन सं0–**BR52P-5853** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी प्राधिकार के निर्णयानुसार सही नहीं है तथा आवेदनकर्त्ता का आगमन, प्रस्थान एवं ठहराव निम्न प्रकार है :– आगमन प्रस्थान ठहराव चन्द्रदीप 07:14 07:20 06 मिनट अलीगंज 07:30 07:48 18 मिनट सिकन्दरा 08:03 08:40 37 मिनट महिसौढ़ीचौक 09:58 10:13 15 मिनट चन्द्रदीप 11:39 11:45 06 मिनट अलीगंज 11:55 12:13 18 मिनट सिकन्दरा 12:28 12:38 10 मिनट महिसौढ़ीचौक 13:53 14:03 10 मिनट सिकन्दरा 14:33 14:39 06 मिनट अलीगंज 15:54 16:21 27 मिनट सिकन्दरा 16:36 16:53 17 मिनट महिसौढ़ीचौक 17:55 18:25 30 मिनट	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदन–कर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी में गतिसीमा का उल्लंघन एवं प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 के निर्णय के आलोक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। अतः आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

25/3/2026

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

25/3/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					सिकन्दरा 18:55 19:07 12 मिनट जमुई रेलवे स्टेशन से महिसौढ़ी चौक की दूरी 20 मिनट में तय की जा सकती है। आवेदनकर्त्ता उक्त दूरी को 10 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। गतिसीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में परमिट की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।	
28	21	BR21K-1811 (29.09.2014) श्री अरूण कुमार, पिता–श्री माराकाण्डे सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2948, मघरा से मुंगेर। भाया–बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–25.03.26 फिटनेश–05.03.27 बीमा–25.02.27 प्रदूषण–29.11.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR01PT-0590** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मघरा प्र0 05:49 05:51 (02 मि0 आगे) शेखपुरा स्टे0 प्र0 16:04 16:05 (01 मि0 आगे) उक्त है कि मैंने इस वाहन का आवेदन दिनांक– 08.03.2026 को ही किया था। मेरा आवेदन सं0–03 है। जबकि अरूण कुमार का आवेदन सं0–21 है, मुझे प्राधिकार के अनुसार प्राथमिकता देने की कृपा की जाए। अरूण कुमार वाहन सं0–**BR21K-1811** का आवेदन दिनांक–09.03.2026 को किया गया इनका आवेदन सं0–21 है। जान बूझकर तंग करने कि नियत से ऐसा समय–सारणी आवेदित किए है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री रूपेश कुमार, वाहन सं0–**BR01PT-1441** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता गिरिहिण्डा प्र0 08:37 08:36 (01 मि0 पीछे) विद्यापीठ प्र0 10:03 10:03 (सेम समय) रामचन्द्रपुर प्र0 18:19 18:18 (01 मि0 पीछे) उक्त है कि मेरा आवेदन सं0–02 है एवं अरूण कुमार के वाहन संख्या **BR21K-1811** का आवेदन	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 2948 मघरा से मुंगेर है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से मुख्य बिन्दु मघरा में प्रस्थान समय 05:49 पर एवं मध्य बिन्दु शेखपुरा स्टेशन में प्रस्थान समय 16:04 पर टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से मध्य बिन्दु गिरिहिण्डा में प्रस्थान समय 08:37 पर, मध्य बिन्दु विद्यापीठ में प्रस्थान समय 10:03 पर एवं मध्य बिन्दु रामचन्द्रपुर में प्रस्थान समय 18:19 पर टकराव है। अतः आवेदनकर्त्ता को उक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					सं0–21 है। मैंने वाहन सं0–**BR01PT-1441** का आवेदन दिनांक–07.03.2026 को जबकि अरूण कुमार के द्वारा आवेदन दि0–09.03.2026 को किया गया। प्राधिकार के नियमानुसार जो पहले आवेदन किया हुआ रहेगा उसका वरीयता दिया जाएगा। उपरोक्त में कहना है कि यह वाहन प्रतिदिन बिना परमिट करीब 2 वर्ष से सरमेरा से बिहारशरीफ मार्ग पर परिचालन हो रही है। इसकी जॉच करवा ली जाय।	
29	22	BR21K-0411 (06.05.2014) श्री आयुष राज, पिता–श्री प्रशांत कुमार, पता–शिवपुरी, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2948, मघरा से मुंगेर। भाया–बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.05.26 फिटनेश–09.10.26 बीमा–25.02.27 प्रदूषण–06.09.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री जितेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR21PA-0198** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता गिरिहिण्डा प्र0 14:57 14:58 (01 मि0 आगे) दोनों वाहन का मार्ग सं0– 2948 ही है। उक्त है कि वाहन सं0– **BR21PA-0198** का परमिट सं0– **BR2026-SC-0411A** है का मान्य अवधि दिनांक–05.03.2031 तक है। आयुष राज ने जान बूझकर 01 मिनट आगे दिए हैं।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 2948 मघरा से मुंगेर है। आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु गिरिहिण्डा में प्रस्थान समय 14:57 पर टकराव है। अतः आवेदनकर्त्ता को आपत्तिकर्त्ता से टकराव के बिन्दु पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
30	23	BR53P-2100 (04.02.2025) श्री अमित कुमार, पिता–श्री मनोज कुमार सिंह, पता–नडियावाना, नडियावान, रामगढ़ चौक जिला–लखीसरा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–**MPPY2050**, रामचन्द्रपुर से सिकन्दरा। भाया–लखीसराय, रामगढ़ चौक एवं हलसी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–29.04.26 फिटनेश–03.02.27 बीमा–31.01.27 प्रदूषण–09.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री साधु शरण यादव, वाहन सं0–**BR53A-8101** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता लखीसराय 05:44 05:45 रामगढ़ चौक 06:03 06:05 हलसी 06:23 06:25 सिकन्दरा 08:12 08:14 रामगढ़ चौक 08:52 08:55	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या **MPPY2050** रामचन्द्रपुर से सिकन्दरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

31	24	BR01PR-8229 (14.02.2025) श्री महेश पासवान, पिता–श्री विशेश्वर पासवान, पता–इसुआ, संसौर, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–115, बरबीघा से मुंगेर। भाया–शेखपुरा, लखीसराय एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.04.26 फिटनेश–13.02.27 बीमा–03.02.27 प्रदूषण–14.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नागेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR21P-1128** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सूर्यगढ़ा प्र0 09:00 09:00 शेखपुरा प्र0 17:22 17:22 दोनों वाहन का मार्ग संख्या 115 है। वाहन सं0–**BR21P-1128** का परमिट सं0–**BR2022-SC-1647A** है। परमिट का मान्य अवधि 26.07.2027 तक है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 115 बरबीघा से मुंगेर है। आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु सूर्यगढ़ा में प्रस्थान समय 09:00 पर एवं मध्य बिन्दु शेखपुरा में प्रस्थान समय 17:22 पर टकराव है। अतः आवेदनकर्त्ता को आपत्तिकर्त्ता से टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
32	25	BR09PA-6455 (04.06.2021) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता–चन्द्रशेखर सिंह, पता–भैयवार, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2981 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया–जमालपुर, महेशखूंट, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–15.02.27 फिटनेश–26.09.27 बीमा–03.03.27 प्रदूषण–04.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
33	26	BR09PA-8252 (26.05.2023) श्री राजकिशोर राय, पिता–कुशो राय, पता–मटिहानी, बरौनी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3107 डाउन, बेगुसराय से हसनपुर। भाया–मंझौल एवं गढ़पुरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–23.05.26 फिटनेश–25.05.27 बीमा–23.05.26 प्रदूषण–20.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
34	27	BR46P-5350 (22.11.2018) श्री राजीव कुमार सिंह, पिता–श्री शम्भू प्रसाद सिंह, पता–महिसौरी जिला–जमुई।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–25.04.26 फिटनेश–06.12.26 बीमा–25.12.26 प्रदूषण–02.12.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री सुभाष कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-3247** का कहना है कि का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी एवं निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता अलीगंज प्र0 11:25 11:28 सिकन्दरा प्र0 11:58 12:00 आपत्तिकर्त्ता का पूर्व से परमिट मल्लेपुर से आढ़ा मार्ग पर है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी के 02 मिनट पूर्व का समय–सारणी अलीगंज एवं सिकन्दरा में दिये हैं। आवेदनकर्त्ता ने मल्लेपुर	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु अलीगंज में प्रस्थान समय 11:25 पर एवं मध्य बिन्दु सिकन्दरा में प्रस्थान समय 11:58 पर टकराव नहीं है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 के निर्णय के आलोक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। अतः आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					स्टेशन में 12:40 में आगमन कर 13:05 में प्रस्थान करते हैं एवं सभी ठहराव पर 18 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 44 मिनट एंव 48 मिनट का ठहराव करते हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अविनाश कुमार, वाहन सं0–**BR21P-8137** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी प्राधिकार के निर्णयानुसार सही नहीं है तथा आवेदनकर्त्ता का आगमन, प्रस्थान एवं ठहराव निम्न प्रकार है :– आगमन प्रस्थान ठहराव अलीगंज 06:55 07:16 21 मिनट सिकन्दरा 07:31 08:15 44 मिनट महिसौढ़ीचौक 09:20 09:50 30 मिनट अलीगंज 11:19 11:25 06 मिनट सिकन्दरा 11:40 11:58 18 मिनट महिसौढ़ीचौक 13:15 13:24 09 मिनट सिकन्दरा 15:28 15:43 15 मिनट महिसौढ़ीचौक 17:05 17:53 48 मिनट अलीगंज 19:26 19:35 09 मिनट सिकन्दरा 19:50 19:58 08 मिनट प्राधिकार के निर्णय के अनुसार 05 मिनट का ठहराव देना है। आवेदक प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध आवेदन दिये हैं। जमुई रेलवे स्टेशन से महिसौढ़ी चौक की दूरी 20 मिनट में तय की जा सकती है। आवेदनकर्त्ता उक्त दूरी को 10 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।	जाता है।
35	28	BR34P-4001 (10.06.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता–स्व0 दिनेश सिंह, पता–मल्लेयपुर, बरहट, जिला–जमुई।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया–सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खड़पुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–01.05.26 फिटनेश–19.03.26 बीमा–05.09.26 प्रदूषण–29.07.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0–**BR10Q-1073** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता जमुई बस स्टेण्ड 18 मिनट, मल्लेपुर में 12 मिनट एवं खड़गपुर 25 मिनट का ठहराव दिये हैं जो प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। आवेदनकर्त्ता मुंगेर में 02 घण्टा 35 मिनट का ठहराव दिये हैं। आवेदनकर्त्ता 02 घण्टा 35 मिनट का ठहराव कर आवेदन में 45 मिनट का उल्लेख किये हैं। खड़गपुर में 30 मिनट मल्लेपुर स्टेशन 15 मिनट, जमुई बस स्टैण्ड में 20 मिनट का ठहराव दिये हैं जो प्राधिकार के नियम	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–26.02.2026 के निर्णय के आलोक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। अतः आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					के विरूद्ध है। दिनांक–26.02.2026 की बैठक में 05 मिनट का ठहराव करना है। परमिट सरेन्डर करने के बाद भी गाड़ी का परिचालन मार्ग में कर रहे हैं। शम्भू शरण सिंह एवं प्रसेनजीत कुमार एवं राणा संजय सिंह अपना वाहन चकाई से मुंगेर परमिट लिये हैं और परिचालन जमुई भागलपुर करते हैं। इनका वाहन सं0– **BR46C-0959** है, जो नियम के विरूद्ध है।	जाता है।
36	29	BR09PA-6456 (04.06.2021) श्री सुदर्शन सिंह, पिता–लक्ष्मी ना0 सिंह, पता–जेल रोड, पोखरिया, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–2981 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया–जमालपुर, महेशखूंट, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–15.02.27 फिटनेश–26.09.27 बीमा–24.11.26 प्रदूषण–04.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

<u>कार्यावली संख्या – 03</u>

<u>परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन</u>

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
37	30	BR01PR-0474 (17.04.2024) श्री रूपेश कुमार, पिता–श्री संजय कुमार, पता–सकलदेव नगर, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–170 डाउन, शेखपुरा से पटना। भाया–बरबीघा, कैला मोड़, बिन्द एवं जैतीपुर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.04.26 फिटनेश–16.04.28 बीमा–17.04.26 प्रदूषण–17.04.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
38	31	BR01PQ-8561 (14.02.2024) श्री रूपेश कुमार, पिता–श्री संजय कुमार, पता–सकलदेव नगर, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–170 डाउन, शेखपुरा से पटना। भाया–बरबीघा, कैला मोड़, बिन्द एवं जैतीपुर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.05.26 फिटनेश–13.02.28 बीमा–07.02.27 प्रदूषण–17.02.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
39	32	BR09PA-5935 (01.12.2020) श्री सुदर्शन सिंह, पिता–लक्ष्मी ना0 सिंह, पता–पोखरिया, नियर जेल रोड, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–920 पटना से बेगूसराय। भाया–दीदारगंज, फतवा, हरनौत, बाढ़ एवं मोकामा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.11.26 फिटनेश–30.11.26 बीमा–23.11.26 प्रदूषण–22.11.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

25/3/2026

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

40	33	BR10U-9494 (15.10.2016) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–न्यू एरिया पतालपुरी मंदिर, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–1566, नवादा से सिकन्दरा, भाया–पकड़ीवर्मा एवं अलीगंज। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–12.06.26 फिटनेश–14.01.2027 बीमा–16.05.26 प्रदूषण–09.04.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
41	34	BR25PA-1964 (06.01.2016) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–न्यू एरिया गोण्डापुर, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–1566, नवादा से सिकन्दरा, भाया–पकड़ीवर्मा एवं अलीगंज। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–05.04.26 फिटनेश–23.07.26 बीमा–28.11.26 प्रदूषण–23.07.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यावली संख्या – 04

परमिट नवीकरण आवेदन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	परमिट की अद्यतन वैधता	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
42	42	BR52P-8653 (23.03.2015) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–न्यू एरिया पतालपुरी मंदिर, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–3162, नवादा से जमुई महिसौढ़ी चौक, भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–15.04.26 फिटनेश–20.11.26 बीमा–14.02.27 प्रदूषण–07.10.26	27.04.2026	अप्राप्त	मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।
43	43	BR25PA-1939 (16.12.2010) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–न्यू एरिया पतालपुरी मंदिर, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–3162, नवादा से जमुई महिसौढ़ी चौक, भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.04.26 फिटनेश–03.10.26 बीमा–12.03.26 प्रदूषण–03.04.26	27.04.2026	अप्राप्त	मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।

25/3/2026

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

25/3/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

44	44	BR46B-7097 (31.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–नेपुरा, पारवती, काशीचक, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–269, मुंगेर से नवादा। भाया–धरहरा, मेदनीचौकी, सूर्यगढ़ा, विद्यापीठ, लखीसराय, बाईपास मोड़, लखीसराय, हलसी, सिकन्दरा, अलीगंज, आढ़ामोड़ एवं पकड़ीवर्मा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.04.26 फिटनेश–27.05.26 बीमा–04.03.27 प्रदूषण–25.05.26	27.04.2026	अप्राप्त	मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।

अन्यान्य :–

सभी आवेदनकर्त्ता विभागीय पत्रांक–1372, दिनांक–24.02.2021 द्वारा निर्गत दिनांक–09.02.2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :–सा0–01–01/2025...142.../परि0, मुंगेर, दिनांक–...25/03.../2026
प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

दिनांक–09 फरवरी, 2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक की

कार्यवाही

(दिनांक–25.01.2021 तक अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर प्राप्त आवेदन से संबंधित मामले)

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

No. 1 24/2/21

दिनांक–09 फरवरी, 2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही।

1. नीतिगत मामलेः–

राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक–08.04.2013 की बैठक में बड़ी वाहनों यथा–बस को सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट दिये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया था :–

"बड़ी वाहनों यथा बस के वाहन स्वामी यदि बस का निर्माण केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–128 के तहत कराकर जिला परिवहन पदाधिकारी से निबंधन टूरिस्ट वाहन के रूप में कराकर लाते हैं तो सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट दिया जा सकता है।"

वाहन सॉफ्टवेयर में वाहन का निबंधन टूरिस्ट वाहन के रूप में होने का प्रावधान नहीं है। अतः प्राधिकार के उक्त निर्णय के कारण बड़ी वाहनों को पर्यटक परमिट प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुए प्रस्ताव है कि बड़ी वाहनों को सुलभतापूर्वक पर्यटक परमिट प्राप्त किये जाने हेतु प्राधिकार के उक्त निर्णय को संशोधित करते हुए उपरोक्त बाध्यता को समाप्त किया जा सकता है। परन्तु किसी भी बड़े वाहन यथा–बस इत्यादि के द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–128 के तहत दिये गये प्रावधानों का अनुपालन टूरिस्ट वाहन के रूप में परमिट प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक होगा।

निर्णयः– प्रस्ताव स्वीकृत।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24/2/21
अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

No. 137/ 24/2/2021

दिनांक–09 फरवरी, 2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही।

2. नीतिगत मामले:–

(1) प्राधिकार की बैठक शुरू होने के साथ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा परमिट की स्वीकृति एवं स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु दो स्तरों पर वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने के संबंध में प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बताया गया परमिट की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदनों पर विचारण हेतु प्राधिकार की बैठक आयोजित किये जाने में काफी समयान्तराल होने की स्थिति में परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित आवेदनों के साथ संलग्न वाहन से संबंधित कागजातों की मान्य अवधि समाप्त हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिस कारण परमिट की स्वीकृति के उपरान्त परमिट के निर्गमन के समय वाहन से संबंधित समस्त अद्यतन कागजातों की मांग पुनः वाहन स्वामियों से की जाती थी।

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बताया गया कि वर्तमान में परमिट की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन समर्पित किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत परमिटो का निर्गमन भी ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। ऑनलाईन माध्यम से समर्पित किये जाने वाले आवेदनों के साथ संलग्न वाहन से संबंधित कागजात यथा–वाहन का कर–प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र आदि की अद्यतन स्थिति की जाँच कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं कर ली जा रही है। जिस कारण वाहन से संबंधित कागजातों की मान्य अवधि समाप्त हो जाने पर परमिट का निर्गमन संभव नहीं है। वाहन स्वामियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि परमिट की स्वीकृति एवं परमिट के निर्गमन हेतु अलग–अलग स्तर पर किये जाने वाले आवेदनों की कोई आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होती है। अतः वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित किये जाने वाले आवेदनों के साथ ही वाहन से संबंधित एवं अन्य प्रकार के वांछित कागजात/शुल्क समर्पित किया जाना यथोचित है, तथा परमिट की स्वीकृति के उपरान्त प्राप्त किये जाने वाले कागजात/शुल्क की प्रक्रिया में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णयः– समस्त पक्षों को सुनने के बाद प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वाहन से संबंधित सभी सूचनाएँ ऑनलाईन रहने के कारण वाहन से संबंधित सभी कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में परमिट का निर्गमन संभव नहीं है। अतः परमिट निर्गमन की प्रक्रिया में गति लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित किये जाने वाले आवेदन के साथ ही निम्नलिखित कागजात एवं शुल्क संलग्न करना अनिवार्य होगा।

परमिट संबंधी आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातों की सूची :–

1. वाहन का निबंधन पुस्त (व्हील बेस, बैठान क्षमता एवं मॉडल वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो)।
2. अद्यतन कर भुगतान का प्रमाण पत्र रसीद।
3. अद्यतन बीमा कागजात।
4. दुरूस्ती प्रमाण पत्र।
5. समय–सारणी(छः प्रति में)।
6. कुल दूरी एवं मार्ग संख्या सहित मार्ग का नक्शा (अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग हेतु)
7. वाहन स्वामी का पासपोर्ट साईज का एक फोटो।
8. मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड
9. बैंक खाता पासबुक की प्रति (IFSC Code, बैंक का नाम, खाताधारक का नाम सहित)।
10. आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं अधिभार शुल्क की राशि।
11. वाहन स्वामी का शपथ पत्र जिसमें वाहन परमिट से आवृत्त है अथवा परमिट से आवृत्त नहीं है, का स्पष्ट उल्लेख हो।
12. शर्तें:–
    - (i) आवेदन के साथ अपलोड करने वाले सभी कागजात अद्यतन एवं वाहन स्वामी द्वारा स्वहस्ताक्षरित रहे।
    - (ii) सभी कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो।
    - (iii) समय–सारणी में किसी प्रकार का कटिंग या ओवरराईटिंग नहीं होना चाहिए।
    - (iv) समय–सारणी 24 घण्टे(रेलवे की समय–सारणी के अनुरूप) के प्रारूप में होनी चाहिए।
    - (v) आवेदन पत्र पर वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
    - (vi) आवेदन में अधिसूचित मार्ग की संख्या का अंकन स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है।
    - (vii) समय–सारणी पर वाहन स्वामी का नाम, हस्ताक्षर, वाहन संख्या, मार्ग संख्या एवं मार्ग जिन प्राधिकारों के अन्तर्गत पड़ते है, उन प्राधिकारों के नाम का स्पष्ट रूप से अंकन होना आवश्यक है।

No-13/24/7/19

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, द्वारा प्राधिकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी कि कुछ मामलों मे परमिट की स्वीकृति के उपरान्त आवेदन समर्पित किया जाना अपेक्षित होता है। अतः राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपर वर्णित कंडिका (1) मे लिया गया निर्णय निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:–

(2) वाहन स्वामियों द्वारा चेचिस संख्या एवं इंजन संख्या के आधार पर परमिट की स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है, एवं उक्त आवेदना में अंकित चेचिस संख्या एवं इंजन संख्या के पक्ष में वाहन का निबंधन कराने मे समय लगने की सम्भावना बनी रहती है, साथ ही पूर्व परमिट से आवृत वाहनों के पक्ष में पूर्व परमिट प्रत्यर्पण की शर्त के साथ परमिट की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त पूर्व परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी समय लगने की सम्भावना होती है।

निर्णयः– जनहित में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा समर्पित इंजन नं0 एवं चेचिस नं0 के साथ समर्पित आवेदन के आधार पर प्राधिकार द्वारा परमिट की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो बैठक की कार्यवाही के विभागीय वेबसाईट पर अपलोड होने के एक माह के अन्दर वाहन स्वामी को उसी इंजन नं0 एवं चेचिस नं0 के पक्ष में निबंधित वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र एवं वाहन से संबंधित अन्य अद्यतन कागजात कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके परमिट की स्वीकृति को स्वतः रद्द माना जायेगा।

(iii) निर्णय :–प्राधिकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई वाहन पूर्व परमिट से आवृत हो तो उक्त वाहन के पक्ष में परमिट की स्वीकृति संबंधी आवेदन के साथ ही वाहन स्वामी को इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा कि परमिट की स्वीकृति के उपरान्त उनके वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट को परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार में प्रत्यर्पित माना जाय। वाहन स्वामी द्वारा उक्त शपथ पत्र की एक प्रति वाहन के पक्ष में परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार के समक्ष भी समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप निम्नवत रहेगा:–

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं श्री/श्रीमती...पिता श्री...पता/ग्राम+पो0...थाना..............................जिला.............. का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

(i) यह कि मैं वाहन संख्या ....का मालिक हूँ।

(ii) यह कि <u>वाहन परमिट से आवृत है</u> अथवा <u>वाहन परमिट से आवृत्त नहीं है।</u>

(iii) यह कि अधिकृत एजेन्ट से वाहन का टिकट बुकिंग सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।

(iv) यह कि किसी अनाधिकृत एजेन्ट अथवा व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग कराने में नही किया जाएगा ।

(v) यह कि मान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक एवं संवाहक का उपयोग वाहन परिचालन में किया जाएगा।

(vi) यह कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से निबंधित कोई भी वाहन कर–प्रमादी (tax defaulter) नहीं है।

(vii) यह कि उक्त वाहन से किसी भी प्रकार के व्यावसायिक माल की ढुलाई नहीं की जाएगी एवं परमिट की किसी भी शर्त्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।

(viii) परमिट निर्गमन हेतु निर्धारित शर्त्तों में से किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करने अथवा शपथ पत्र में मेरे द्वारा घोषित बातों के असत्य पाये जाने पर मेरे परमिट को रद्द किया जा सकता है, जो मुझे मान्य होगा।

(ix) मार्ग की दूरी 250 कि0मी0 से अधिक होने पर दो चालक का उपयोग किया जायेगा।

(x) यह कि मेरे द्वारा परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित वाहन संख्या–.................................... पर पूर्व से राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ... द्वारा अर्न्तराज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर परमिट संख्या–.........................निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक–...........................से ....तक है।

No 1372 24/2/2021

(xi) यह कि मेरे द्वारा इस बात की सहमति प्रदान की जाती है कि परमिट की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ... के समक्ष दिनांक–.......... को समर्पित आवेदन में अंकित वाहन के पक्ष में परमिट की स्वीकृति के उपरान्त मेरे उक्त वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट को स्वतः प्रत्यर्पित मानते हुये मेरे इस शपथ पत्र को ही बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–86 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार के समक्ष समर्पित परमिट प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन माना जाय।

(xi) यह कि वाहन से संबंधित सभी समर्पित कागजात सही एवं तथ्यात्मक हैं ।

(xii) यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित है एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं परमिट संबंधी आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

अन्यान्य निर्णय :–

(i) परमिट की स्वीकृति संबंधी आवेदन के साथ संलग्न अद्यतन कागजातों में से यदि किसी कागजात की मान्य अवधि परमिट के निर्गमन के समय समाप्त हो जाती है, तो अद्यतन कागजात समर्पित करने हेतु वाहन स्वामी को एक मौका दिया जायेगा तथा बैठक की कार्यवाही के विभागीय वेबसाईट पर अपलोड होने के 10 दिनों के अन्दर वाहन स्वामी को अद्यतन कागजात कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके परमिट की स्वीकृति को स्वतः रद्द माना जायेगा।

(ii) प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि स्वीकृत परमिट के निर्गमन के समय कार्यालय द्वारा जांच के क्रम में यह पाया जाता है कि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत कोई भी साक्ष्य/कागजात/दस्तावेज यदि गलत/जाली है तो उनके स्वीकृत परमिट को तत्काल प्रभाव से सक्षम प्राधिकार के स्तर से रद्द कर दिया जायेगा एवं भविष्य के लिये उनके वाहन को काली सूची में डालते हुए विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) परमिट की स्वीकृति संबंधी आवेदन के साथ कंडिका–1 से 11 में वर्णित किसी कागजात/शुल्क के संलग्न नहीं रहने अथवा कंडिका–12 में वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में परमिट की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी/स्वीकृत परमिट को स्वतः रद्द माना जायेगा।

(iv) बिहार राज्य के अर्न्तगत स्थित सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा भी उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) उपरोक्त निर्णय विभागीय वेबसाईट पर इस कार्यवाही प्रतिवेदन के अपलोड करने के उपरान्त परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित किये जाने वाले सभी नये आवेदनों पर लागू होगा।

24/2/21

सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर